

26/6/23

मंत्रालय-कर्मचारियों के हस्ताक्षर
समाप्त होने पर पत्रावली काज
पेश हुई। सरकार के और से
पैरोकार उपर। कर्माधी के तारिख
पेश नहीं कि गई है। जबकि
नियमानुसार इन नोटिस तलबाना
खात दिवस से पेश करना चाहिए
था जो नहीं किये जाये हैं। जिसके
ग्रह ट्यूल है कि कर्माधी द्वारा कर्माधी
9 रूल 5 सी.पी.सी. से दिये निर्देशों
के पालना नहीं कि गई है। जो
कवहेलना की लुगी में काता है।

अतः इस आधार पर
बहलीलदार नीम-रूपाना (कर्माधी) द्वारा
प्रस्तुत कर्माधी पर मन्तवलि नियम
14(4) रा० ३० रा० मधिनियम के
तहत खारीज रिया जाता है। पत्रावली
पैरोकार शुमार होकर नम्बर से कम
होकर दारिदल दफ्तर हो।

